कानून

ट्रैफिकिंग विक्टिम प्रोटेक्शन रिऑथराइजेशन एक्ट (TVPRA) के अंतर्गत निम्न प्राविधान हैं :

आप्रवासी अवैध व्यापार पीड़ितों के लिये –

- ''ग्रीन कार्ड'' के लिये आवेदन किये जाने का अवसर प्रदान करने तक की समयावधि के लिये उनको *अमेरिका में ठहरने देना*
- अवैध आप्रवासन के ज़रिए लाये गये लोगों के चुनिंदा *सम्बंधियों* को अमेरिका में आने देने की इजाजत
- *उनके कार्य को आधिकारिक स्वीकृति* प्रदान किया जाना
- उन *सेवाओं* को सूचीबद्ध करना, जिनके लिये ये अवैध आप्रवासी हकदार हैं

सभी अवैध आप्रवासियों के लिए–

- *अवैध आप्रवासियों* को नागरिक अधिकारों का दावा करने का अवसर प्रदान किया जाना
- अवैध आप्रवासियों के लिये आपराधिक *दण्ड* का विवरण देना

चुनिंदा अपराधों में लिप्त पाये गये अवैध आप्रवासियों के लिए :

- ''ग्रीन कार्ड'' के लिये आवेदन किये जाने का अवसर प्रदान करने तक की समयावधि के लिये उनको *अमेरिका में ठहरने देना*
- अवैध आप्रवासन में लिप्त पाये गये लोगों के चुनिंदा सम्बंधियों को अमेरिका में आने देने की इजाजत
- *कार्य को आधिकारिक स्वीकृति* प्रदान किया जाना

फेयर लेबर स्टैंडर्डस एक्ट (FLSA) में निम्न प्राविधान हैं :

- *कामगारों,* विशेषकर बच्चों को शोषण से *बचाना*
- *शोषण* के शिकार *सभी कामगारों* को उनके पूर्व नियोक्ताओं के विरूद्ध कानूनी दावों की अनुमति

AALDEF

एडवांसिंग दि राइट ऑफ वूमेन एंड यूथ इम्माइग्रेंट वर्कर्स : अवैध आप्रवासन विरोधी कार्यक्रम, अवैध आप्रवासित और शोषित महिला और युवा कामगारों को विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।

AALDEF: दि एशियन अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड (AALDEF) की स्थापना 1974 में हुई। यह विधिक सहायता, वकालत और सामुदायिक जागरूकता आदि के ज़रिये एशियाई अमेरिकी लोगों के नागरिक अधिकारों का संरक्षण और उन्नयन करता है, जो आप्रवासन अधिकार, मतदान के अधिकार, आर्थिक न्याय, हिंसा विरोध और पुलिस दुर्व्यवहार आदि से सम्बंधित होते हैं।

AALDEF -की अन्य परियोजनाएं

- **कामगारों को आर्थिक न्याय**
- **शैक्षणिक समानता और युवाओं के अधिकार**
- **शैक्षणिक समानता और युवाओं के अधिकार**
- **आप्रवासियों की न्याय व्यवस्था तक पहुंच**
- **मतदान का अधिकार परियोजना**
- **न्यू जर्सी एशियाई अमेरिकी विधि परियोजना**

AALDEF न्यूयार्क अवैध व्यापार विरोधी नेटवर्क (NYATN) की स्टीयरिंग कमेटी की सदस्य है।

विधिक पूछताछ के लिये, सम्पर्क करें, एलवीवाई सुरियोपास (Ivy Suriyopas)
स्टॉफ अटार्नी (Staff Attorney)
फोनः 212.966.5932 x235
ई–मेलः isuriyopas@aaldef.org

सन्दर्भ/परामर्श हेतु सम्पर्क करेंः मेबल सो (Mabel Tso)
फोनः 212.966.5932 x224
ई–मेलः mtso@aaldef.org

महिलाओं और युवा आप्रवासी कामगारों के अधिकारों का उन्नयन

एशियन अमेरिकन लीगल डिफेन्स एंड एजुकेशन फण्ड

99 HUDSON STREET, 12th FL
NEW YORK, NY 10013-2815

फोनः 212.966.5932 फैक्सः 212.966.4303

www.aaldef.org

© 2009 AALDEF —Trafficking Brochure—Hindi

अपने अधिकारों को जानें

- सभी कामगार, अपनी इच्छा के विरूद्ध बलपूर्वक कार्य कराये जाने से स्वयं की स्वतंत्रता के अधिकारी हैं। वे अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे सकते हैं या छोड़ सकते हैं।*
- सभी कामगारों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार है, उनका आप्रवासन स्तर चाहे जैसा भी हो।
- हर व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक दुर्व्यर्वहार से खुद को स्वतंत्र रखने का अधिकार है।
- हर व्यक्ति को झूठे मामलों में कैद से स्वतंत्रता का अधिकार है।

मानव का अवैध व्यापार

सैक्स ट्रैफिकिंग : किसी व्यक्ति को बलपूर्वक, जालसाजी के साथ या बाध्यकारी तरीके से श्रम या सेवा किये जाने पर विवश किया जाना।

सैक्स ट्रैफिकिंग :

- बलपूर्वक, जालसाजीपूर्वक या बाध्यकारी तरीके से पेशेवर सैक्स कार्य कराना *या*
- 18 वर्ष से कम उम्र के किसी युवा या नाबालिग व्यक्ति से पेशेवर सैक्स कार्य कराना।

रोजगार शोषण

- व्यक्ति को संघ या राज्य के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना।
- प्रति सप्ताह 40 घंटे से अधिक किये गये कार्य के लिये व्यक्ति को ओवरटाइम का भुगतान न करना।

*रोजगार अनुबन्ध के द्वारा नियुक्त कामगार को अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन किये जाने की दशा में नकद क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। निर्धारित आप्रवासन वीसा वाली कामगार यदि इस्तीफे या काम छोड़ने का फैसला करती है, तो वह अपने वीसा शर्तों के उल्लंघन के दायरे में आ सकती है। कृपया विधि विशेषज्ञ से परामर्श लें।

अवैध मानव व्यापार की पुरानी धारणाओं का खंडन

- **अवैध मानव व्यापार, तस्करी से अलग है।** अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बिना आधिकारिक अनुमति के स्वैच्छिक रूप से पार करना ही तस्करी है। जहां तस्करी के ज़रिये अमेरिका ले जाये जाने वाले आप्रवासी, नियम भंग करते हैं, वहीं अवैध रूप से अमेरिका ले जाये गये व्यक्ति, जिनको उनकी इच्छा के विपरीत कार्य करने पर विवश किया जाता है, उनके अधिकारों को *विधिक संरक्षण प्राप्त होता है।*

- **अवैध आप्रवासन, वेश्यावृत्ति या अन्य सैक्स कार्य के लिये मानवों का व्यापार करने से आगे बढ़कर है।** अवैध रूप से ले जाये गये आप्रवासी फैक्टरियों में, खेतों में, रेस्टोरेन्टों में, निर्माण कार्यों में या निजी घरों में घरेलू नौकरों की तरह कार्य करते हैं। अन्य को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के लिये बाध्य किया जाता है या शादी के लिये दबाव डाला जाता है।

- **अवैध आप्रवासन, रोज़गार शोषण से आगे बढ़कर है।** रोज़गार शोषण में, किसी कामगार को न्यूनतम मजदूरी या ओवरटाइम के अधिक वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है, जबकि अवैध आप. ्वासन में नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी दिया जाना शामिल होता है, जिससे कामगार अपनी कार्य दशा से छुटकारा पाने में असमर्थ हो जाते हैं।

- **अवैध आप्रवासन में पुरूष, महिलाएं और बच्चे शामिल होते हैं।** अवैध रूप से आप्रवासन के ज़रिये हर वर्ग के व्यक्तियों को लाया जाता है। संघीय सरकार का अनुमान है कि अवैध आप्रवासन के ज़रिये लाये जाने वाले व्यक्तियों में 50 फीसदी बच्चे होते हैं और 80 फीसदी बालिकाएं/महिलाएं होती हैं।

- **अवैध आप्रवासन के ज़रिये लाये जाने वाले लोगों को अमेरिका की नागरिकता हासिल हो सकती है।** अवैध आप्रवासित व्यक्तियों में नागरिक, राष्ट्रीयताप्राप्त, अमेरिका के विधिक स्थायी नागरिक भी शामिल हैं और बेनामी आप्रवासी भी।

अवैध व्यापार की दशाओं की पहचान किया जाना

अगर नीचे दी गयी दशाओं में से कोई संयोजन पाया जाता है, तो अवैध व्यापार की संभावनाओं के संकेत माने जा सकते हैं :

- व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरूद्ध कार्य करने पर विवश किया जाना।
- व्यक्ति का अपनी सुरक्षा या अपने प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर निरन्तर भयभीत रहना।
- व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाना या दुर्व्यवहार करना।
- कैद किये जाने या भगा दिये जाने की धमकियां दिया जाना।
- व्यक्ति का पासपोर्ट तथा पहचान संबंधी अन्य दस्तावेज़ों को जब्त कर लिया जाना।
- व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार आने जाने की स्वतंत्रता न दिया जाना।
- व्यक्ति को सबसे अलग–थलग रखना और अन्य लोगों से मिलने–जुलने न देना।
- व्यक्ति की फोन कॉलों पर पाबन्दी लगाना या निगरानी करना।
- व्यक्ति को इस्तीफा या काम छोड़ने की अनुमति न देना।
- व्यक्ति के साथ हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा रहना, जो उस पर नियंत्रण लगाता प्रतीत होता हो।
- व्यक्ति के परिवार या प्रियजनों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दिया जाना।
- व्यक्ति द्वारा किसी ऋण को चुकता करने के लिये कार्य किया जाना।
- रोज़गार शोषण–व्यक्ति को पूरी मजदूरी का भुगतान न किया जाना या संघ अथवा राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जाना।
- सामान्य उद्योगों में शामिल हैं घरेलू कार्य, रेस्टोरेंट सेवाएं, फैक्टरी कार्य, मनोरंजन संबंधी कार्य, कृषि कार्य, निर्माण गतिविधियों संबंधी कार्य तथा सैक्स कार्य।